

# निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों में राजनीतिक संचेतना का अध्ययन

## Study of Political Consciousness Among Elected Women Village Heads

Paper Submission: 05/01/2020, Date of Acceptance: 15/01/2020, Date of Publication: 20/01/2020

सारांश

लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो सरकार को सामान्यजन के द्वार तक लाता है। लोकतंत्र के उन्नयन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विशेष भूमिका रही है। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय जन सामान्य को शासन कार्य में भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी भागीदारी की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्षतः शासन-प्रशासन का प्रशिक्षण स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर ये स्थानीय जनप्रतिनिधि ही कालान्तर में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं राष्ट्र को नेतृत्व उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आधुनिक भारत की ग्रामीण संरचना को समझने के लिए नवीन नेतृत्व के उद्भव और उनके मूल्यों, विचारों तथा बदलते जीवन प्रतिमानों को समझना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों में राजनीतिक संचेतना का अध्ययन इसी क्रम में एक प्रयास है। महिला नेतृत्व किस सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि से आया है। पंचायती राज में उनकी क्या भूमिका है तथा उनका राजनीतिक सक्रियता कैसी है? इन सभी प्रश्नों के हल प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से खोजने के प्रयास किए गए हैं।

शक्ति गुप्ता  
प्राध्यापक राजनीति  
विज्ञान,  
राजकीय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय  
हमीरपुर, 30प्र0,  
भारत

आशीष कुमार  
शोधार्थी, राजनीति  
विज्ञान  
नार्थ ईस्ट फ्रण्टियर  
टेक्निकल युनिवर्सिटी  
आलो,  
अरुणाचल प्रदेश,  
भारत

In a democratic political system, Panchayati Raj is the only medium that brings the government to the doorstep of the common man. Rural development and Panchayati Raj have played a special role in the advancement of democracy. Panchayati Raj institutions make an important contribution in making the local people a participant in the work of governance. Through this process of participation, people get the training of governance and administration automatically. After getting training at the local level, these local public representatives provide leadership to the nation by representing them in the state and national level legislatures. Panchayati Raj Institutions also play an important role in providing leadership to the nation. To understand the rural structure of modern India, it is necessary to understand the emergence of new leadership and their values, ideas and changing life patterns. The present research paper is an attempt in this sequence to study the political consciousness among elected women village heads. From which socioeconomic or political background did the female leadership come? What is their role in Panchayati Raj and what is their political activism? Efforts have been made to find solutions to all these questions through the present study.

मुख्य शब्द : दलित अभिजन, व्यावसायिक गतिशीलता।

**Keyword:** Dalit Elite, Occupational Mobility.

प्रस्तावना

राजनीतिक संचेतना से आषय राजनीतिक परिदृश्य के सम्बन्ध में जानकारी से है। राजनीतिक संचेतना का सहभागी अभिविन्यास एवं राजनीतिक दक्षता से गहरा सम्बन्ध होता है। इस प्रकार राजनीतिक संचेतना को राजनीतिक सामाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। सामाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, निपुणता, विश्वासों, मूल्यों, मनोवृत्तियों को प्राप्त करता है तथा यह उसे समाज के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में कार्य करने के योग्य बनाती है।[1]

राजनीतिक सामाजीकरण वास्तव में राजनीति एवं राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में सामाजीकरण की प्रक्रिया का परिसीमन है। यह सीख की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शों एवं मूल्यों का अन्तरीकरण करता है।<sup>2</sup>

डासन तथा प्रिविट ने इसे वह प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा नागरिक राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व होता है।<sup>3</sup> राजनीति संचेतना का स्तर लोकतन्त्र को सफल संचालन में दूरगामी परिणामों का द्योतक है। यदि प्रतिनिधियों की राजनीतिक प्रक्रियाओं की जानकारी ठीक होगी तो राजनीतिक मुद्दों एवं शासकीय कार्यों में उनकी भागीदारी अर्थपूर्ण होगी। इससे राजनीतिक निर्णय लेना सरल होगा।

#### 1-राजनीतिक सक्रियता

राजनीति में आने वाले व्यक्ति इसे अपना स्थायी व्यवसाय बनाने का प्रयास करते हैं। राजनीति में इनका मूल्यांकन अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं में अपनी पकड़ बनाकर पुनरावृत्ति की इच्छा रखते हैं। मैटीडोमेन ने अपने अध्ययन में उल्लेख किया है कि नेतृत्व की आवश्यकत विशेषता इसकी असुरक्षा है। व्यवस्थापिका के लिए सदस्य चुनकर आते हैं लेकिन इसकी कोई गारण्टी नहीं है कि वे कब तक सदन के सदस्य रहेंगे।<sup>4</sup>

महिला प्रधानों से यह जानने का प्रयास किया गया कि उनके परिवार को कोई सदस्य क्या पूर्व में राजनीति में सक्रिय रहा है?

तालिका -1  
परिवार की राजनीति में सक्रियता

| क्र. | राजनीतिक सक्रियता | आवृत्ति | प्रतिशत |
|------|-------------------|---------|---------|
| 1    | हाँ               | 29      | 14.5    |
| 2    | नहीं              | 171     | 85.5    |
|      | योग-              | 200     | 100.0   |

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की उत्तरदात्रियों के परिवार के सदस्य जो राजनीति में सक्रिय रहे हैं उनका प्रतिशत 14.5 है। 85.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार को कोई भी सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं रहा है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि महिला प्रधानों के परिवारों की सक्रियता राजनीति में पहले नहीं रही है। इसकी पुष्टि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति महिला सरपंचों के एक अध्ययन से भी होती है।<sup>5</sup>

#### 2-पंचायत चुनाव

पंचायत राज व्यवस्था में चुनावों की विशेष भूमिका रही है। राज्य एवं केन्द्र के चुनावों की भाँति ही पंचायतों के चुनाव भी नियमित एवं नियत काल में निष्पक्ष रूप से सम्पादित कराने का दायित्व राज्य सरकारों का है। जिसका दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। पंचायती राज संस्थानों में सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम में होता है। प्रत्येक चुनाव के पूर्व आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है।

आरक्षण प्राप्त अनेक वर्गों विशेषकर महिलाओं में स्वाभाविक उम्मीदवारी की इच्छा या आकांक्षा कम दिखाई देती है। नवीन व्यवस्था में ऐसे प्रतिनिधित्व को अपनी भूमिका का ज्ञान न होना भी उत्साहित न होने के कारणों में से एक है। महिला प्रधानों से यह जानने का प्रयास किया गया कि उन्हें चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली ?

तालिका -2  
चुनाव में भाग लेने की प्रेरणा

| क्र. | भाग लेने की प्रेरणा      | आवृत्ति | प्रतिशत |
|------|--------------------------|---------|---------|
| 1    | स्वयं से                 | 23      | 11.5    |
| 2    | परिवार के सदस्यों से     | 42      | 21.0    |
| 3    | प्रतिष्ठित व्यक्तियों से | 44      | 22.0    |
| 4    | ग्रामवासियों से          | 91      | 45.5    |
|      | योग -                    | 200     | 100.0   |

तालिका में उत्तरदात्रियों के चुनाव लड़ने की प्रेरणा प्राप्त होने की स्थिति को दर्शाया गया है। विप्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 45.5 प्रतिषत उत्तरदात्रियों को ग्रामवासियों से चुनाव लड़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई यह प्रतिषतांक सर्वाधिक है। 11.5 प्रतिषत उत्तरदात्रियों ने स्वयं की प्रेरणा से चुनाव में हिस्सा लिया। परिवार के सदस्यों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रेरणा मिलने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिषत क्रमशः 21.0 तथा 22.0 है। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्तरदात्रियों को चुनाव में प्रतिभाग कराने का प्रयास ग्रामवासियों द्वारा अधिक कराया जाता है। इस प्रक्रिया में चुनाव लड़ने वाली महिला के व्यक्तित्व का प्रभाव ग्रामवासियों पर उतना नहीं होता कि उसके पति या परिवार के अन्य सदस्यों का।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार किसी न किसी मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरते हैं जिनके आधार पर वे मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने हेतु प्रभावित करते हैं। साक्षात्कार के दौरान यह जानने का प्रयास किया गया कि उत्तरदात्रियों के चुनाव लड़ने के दौरान प्रमुख मुद्दे क्या थे जिसके आधार पर वे चुनाव लड़ी ?

तालिका -3  
चुनाव के प्रमुख मुद्दे

| क्र. | भाग लेने की प्रेरणा           | आवृत्ति | प्रतिषत |
|------|-------------------------------|---------|---------|
| 1    | ग्राम विकास                   | 95      | 47.5    |
| 2    | सामाजिक सुधार                 | 36      | 18.0    |
| 3    | स्थानीय समस्याओं का निवारण    | 111     | 55.5    |
| 4    | सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन | 98      | 49.0    |
| 5    | महिला एवं बाल विकास को बढ़ावा | 45      | 22.5    |
| 6    | कोई मुद्दा नहीं               | 25      | 12.5    |

तालिका में उत्तरदात्रियों के चुनाव के प्रमुख मुद्दों को दर्शाया गया है। 55.5 प्रतिषत उत्तरदात्रियों ने स्थानीय समस्याओं के निराकरण करने को, 49.0 प्रतिषत ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को, 47.5 प्रतिषत ने ग्रामीण विकास, 22.5 प्रतिषत ने महिला एवं बाल विकास, 18.0 प्रतिषत ने सामाजिक सुधार को चुनाव के प्रमुख मुद्दे बनाए। इसके विपरीत 12.5 प्रतिषत ऐसी उम्मीदवार थी जिन्होंने अपने चुनाव में किसी भी कार्य को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। मुख्यतः चुनाव स्थानीय समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लड़े गए।

### 3-पंचायती राज व्यवस्था एवं आरक्षण

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायतीराज अधिनियम की धाराओं में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में पंचायती राज के सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण किया जाएगा। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएगी। आरक्षण के पीछे मन्तवा सभी वर्गों की महिलाओं को नेतृत्व के सामान अवसर प्रदान करना है जिससे देश की आधी आबादी को अपने वर्ग तथा अपनी महत्वांकाक्षाओं को पूरा करने का अवसर प्राप्त हो सके। आरक्षण के आधारों पर चुनाव लड़ने के पश्चात विजयी महिला प्रधानों से आरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी होने की स्थिति का जानने का प्रयास किया गया।

तालिका- 4  
आरक्षण सम्बन्धी ज्ञान की स्थिति

| क्र. | ज्ञान की स्थिति | आवृत्ति | प्रतिषत |
|------|-----------------|---------|---------|
| 1    | हाँ             | 76      | 38.0    |
| 2    | नहीं            | 124     | 62.0    |
|      | योग -           | 200     | 100.0   |

तालिका में महिला प्रधानों से आरक्षण सम्बन्धी ज्ञान को जानने का प्रयास किया गया। क्षेत्र की 62.0 प्रतिषत उत्तरदात्रियों को आरक्षण क्या होता है इस सम्बन्ध में कोई जानकारी देने से मना किया। यह स्थिति शैक्षणिक पिछड़ेपन या अशिक्षित होने के कारण प्रतीत हुई। इससे शोध की परिकल्पना प्रमाणित होती है। 38.0 प्रतिषत महिलाओं ने आरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी दी। इन

उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक स्तर कमोवेश ठीक था तथा परिवार में राजनीतिक चर्चाएं यदा-कदा होती रहती हैं जिससे उन्हें कुछ-कुछ जानकारी प्राप्त होती रहती है। विजयी महिला प्रत्याषियों से उनकी सीट के आरक्षण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास शोधार्थी द्वारा किया गया कि जिस सीट से वह विजयी हुई है उनकी सीट का स्वरूप क्या था ?

## तालिका-5

## स्थान (सीट) के आरक्षण की स्थिति

| क्र. | आरक्षण की स्थिति | आवृत्ति | प्रतिषत |
|------|------------------|---------|---------|
| 1    | आरक्षित          | 120     | 60.0    |
| 2    | अनारक्षित        | 39      | 19.5    |
| 3    | पता नहीं         | 41      | 20.5    |
|      | योग-             | 200     | 100.0   |

तालिका में उत्तरदात्रियों के सीट के आरक्षण सम्बन्धी जानकारी को दर्शाया गया है। 60.0 प्रतिषत उत्तरदात्रियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने आरक्षित सीट से चुनाव लडकर विजय हासिल की है। 19.5 प्रतिषत उत्तरदात्रियों को यह मालूम ही नहीं था कि जिस सीट पर वे पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुई हैं उनकी सीट का स्वरूप क्या था। तथा इस ओर संकेत करते हैं कि महिलाओं में अभी भी राजनीतिक संचेतना का अभाव है जिस संस्था का वे प्रतिनिधित्व करती हैं उसके स्वरूप में भी जानकारी का अभाव है।

## 4-नेतृत्व एवं दलीय सम्बद्धता

राजनीतिक दलों द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था का संचालन होता है तथा राजनीतिक दल ही शासन पर नियंत्रण रखते हैं। दल की अनुसूचित नीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करना विपक्षी दलों का कार्य होता है। यह शासन दल पर की निरंकुषता पर रोक लगाते हैं। दलीय संगठन के बिना न तो सिद्धान्त की कोई एकीकृत अभिव्यक्ति हो सकती है न नीति का कोई व्यवस्थित उद्विकास हो सकता है। निःसन्देह कोई ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा कोई राजनीतिक दल शक्ति प्राप्त करने अथवा शक्ति को बनाए रखने का प्रयास करता है। भारतीय राजनीति में बहुदलीय व्यवस्था है। इनकी अपनी विचारधाराएँ, नीतियां एवं कार्यक्रम होते हैं। इनके प्रति लोगों के जुड़ाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सक्रिय राजनीति में दलीय सम्बद्धता अनिवार्य सी प्रतीत होती है। स्थानीय स्तर की राजनीति में उच्च स्तर पर कार्यों को करवाने हेतु दलीय सम्बद्धता नितांत आवश्यक होती है। पंचायत चुनावों में दलों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन आवश्यक होता है जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं।

## तालिका -6

## चुनाव में दलीय सम्बद्धता की स्थिति

| क्र. | दलीय सम्बद्धता की स्थिति | आवृत्ति | प्रतिषत |
|------|--------------------------|---------|---------|
| 1    | काँग्रेस                 | 12      | 6.0     |
| 2    | भाजपा                    | 13      | 6.5     |
| 3    | बसपा                     | 85      | 42.5    |
| 4    | सपा                      | 73      | 36.5    |
| 5    | निर्दलीय                 | 11      | 5.5     |
| 6    | अन्य                     | 06      | 3.0     |
|      | योग -                    | 200     | 100.0   |

तालिका में निर्वाचित महिलाओं की राजनीतिक दलों से सम्बद्धता को दर्शाया गया है। क्षेत्र की 42.5 प्रतिषत महिलाएं बहुजन समाज पार्टी से सम्बद्ध है। यह प्रतिषत सर्वाधिक है। तथ्यों से स्पष्ट होता है प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी का प्रभाव काँग्रेस एवं भाजपा की तुलना में अधिक है। काँग्रेस एवं भाजपा से सम्बद्ध रहने वालों का प्रतिषत क्रमशः 6.0 एवं 6.5 है। समाजवादी पार्टी से सम्बद्ध होने वाली महिला प्रधानों का प्रतिषत 36.5 है। 5.5 प्रतिषत महिलाएं किसी भी दल

से सम्बद्ध नहीं है। 3.0 प्रतिषत महिलाएं किसी भी दल के प्रति आस्था व निष्ठा को अस्वीकार करती हैं।

बसपा एवं सपा में सम्बद्धता का प्रतिषत अधिक होने का कारण यह है कि दोनों ही दल सत्ता में प्रमुख रूप से काबिज रहते हैं। स्थानीय चुनावों में तात्कालिक प्रभाव से काबिज रहते हैं। स्थानीय चुनावों में तात्कालिक प्रभाव (सत्ता) से लोग अधिक प्रभावित होते हैं। चूंकि कांग्रेस एवं भाजपा विगत कई वर्षों से प्रदेश की सत्ता से दूर रही है।

5-संचार माध्यमों के प्रति जागरूकता

अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण साधनों रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, राजनीतिक दल, सार्वजनिक सभाएं आदि हैं। समाज के चौथे स्तम्भ के रूप में इनकी अहम भूमिका होती है। इनके माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक सन्दर्भों में हो रहे परिवर्तनों एवं वैचारिक आयामों का ज्ञान अच्छी तरह होता है। संचार के विविध माध्यम व्यक्ति के चिन्तन को व्यापक आयाम देने के साथ ज्ञान में वृद्धि करते हैं। निर्वाचित महिलाओं के इन साधनों से जुड़े होने की स्थिति को जानने का प्रयास शोधार्थी द्वारा किया गया।

#### तालिका -7

समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के पठन-पाठन की रुचि

| क्र. | रुचि  | आवृत्ति | प्रतिषत |
|------|-------|---------|---------|
| 1    | हाँ   | 21      | 10.5    |
| 2    | नहीं  | 160     | 80.0    |
| 3    | कभी-2 | 19      | 09.5    |
|      | योग - | 200     | 100.0   |

तालिका में महिला ग्राम प्रधानों के समाचार पत्र पत्रिकाओं के पठन-पाठन में रुचि को स्पष्ट किया गया है। 80.0 प्रतिषत उत्तरदात्रियों द्वारा स्वीकार किया गया कि उनकी समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ने में कोई रुचि नहीं है और न ही उनके घरों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती हैं। यह प्रतिषत सर्वाधिक है। 10.5 प्रतिषत उत्तरदात्रियों की रुचि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती रहती हैं। 9.5 प्रतिषत उत्तरदात्रियां कभी-कभी समाचार पत्र पढ़ लेती हैं किन्तु उनके घरों में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाएं यदा-कदा ही आती हैं जो उत्तरदात्रियाँ नियमतः समाचार पत्रों को पढ़ती हैं। उनकी रुचि राजनीतिक गतिविधियों या घटनाओं में न होकर सामान्य समाचारों में रहती है। समाचार पत्रों के पठन-पाठन में अरुचि का महत्वपूर्ण कारण शैक्षणिक स्तर में कमी है या निरक्षरता है। यह तथ्य शोध परिकल्पना को प्रमाणित करता है।

भारतीय समाज में रेडियो और टेलीविजन ऐसे माध्यम हैं जिन्होंने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण समाज को भी साथ ले लिया है। दोनों ही साधन जहाँ एक ओर मनोरंजन के विविध कार्यक्रमों से जन सामान्य का मनोरंजन करते हैं वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं जैसे -राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक से परिचित कराते हैं। डी.टी.एच. जैसी सुविधाओं ने ग्रामीण संरचना में हलचल सी पैदा कर दी है। रेडियो श्रवण करने वालों की संख्या दूरदर्शन की तुलना में कम होती जा रही है। संचार के इन साधनों के प्रति रुचि को जानने का प्रयास उत्तरदात्रियों से किया गया।

#### तालिका -8

रेडियो/ टी0बी0 के कार्यक्रमों के प्रति रुचि

| क्र. | कार्यक्रमों के प्रति रुचि | आवृत्ति | प्रतिषत |
|------|---------------------------|---------|---------|
| 1    | हाँ                       | 102     | 51.0    |
| 2    | नहीं                      | 80      | 40.0    |
| 3    | कभी-कभी                   | 18      | 9.0     |
|      | योग -                     | 200     | 100.0   |

तालिका में उत्तरदात्रियों के रेडियो तथा टी0बी0 के उपयोग, सुनने एवं देखने में रुचि सम्बन्धी तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है। 51.0 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया कि वे रेडियो तथा टी0बी0 के कार्यक्रम देखती/ सुनती हैं। यह तभी संभव होता है जब बिजली आती है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अनियतकालिक होती है। बिजली आने पर ही टी0बी0 के कार्यक्रम देख पाना संभव होता है, इनमें वे कार्यक्रम होते हैं जो फिल्मी, सामाजिक धारावाहिकों के होते हैं। राजनीतिक परिचर्चाएं, समाचार तथा राज्यसभा एवं लोकसभा की कार्यवाही जैसे कार्यक्रमों में उनकी कोई रुचि नहीं होती। यदि परिवार के दूसरे सदस्य समाचार आदि सुनते भी हैं तो अनिच्छा से उसे देखना पड़ता है। 40.0 उत्तरदात्रियों इन साधनों के उपयोग से विरत रहती हैं क्योंकि उन्हें घरेलू कार्यों के सम्पादन से समय ही नहीं मिलता है। 9.0 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ कभी-कभी ऐसे संसाधनों के माध्यम से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को देख लेती हैं। इन संसाधनों के उपयोग में अवरोधक कारक के रूप में विद्युत की गंभीर समस्या एक अहम कारक है। कई गांवों में अभी भी विद्युत की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

#### 6- राजनीतिक चर्चाओं में भागीदारी

लिपमैन की मान्यता है कि राजनीतिक विचार अधिकांशतः उस संरचना द्वारा निर्मित होते हैं जो व्यक्ति अपने इर्द-गिर्द के वातावरण से प्राप्त करता है। राजनीतिक घटनाओं में साझेदारी, उनके सम्बन्ध में चर्चा या निजी अनुभव ऐसे ही स्रोत हैं। स्वस्थ जनमत के निर्माण में राजनीतिक चर्चाओं का अपना स्थान है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर चुनावों के दौरान दुकानों, चाय-पान की गुमटी चौपालों एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर होने वाली चर्चाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

वर्तमान समय में संचार साधनों में क्रान्ति के कारण देश-विदेश की छोटी सी घटना की जानकारी तुरन्त सम्पूर्ण विश्व में फैल जाती है। नेतृत्व की सजगता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है कि वे राजनीतिक घटनाओं एवं चर्चाओं में कितने सहभागी बनते हैं। नेतृत्व प्राप्त करने के पश्चात् महिलाएं अपने आपको यदि किचेन तक सीमित रखेगी तो प्रशासनिक दक्षता पैदा नहीं हो सकती।

निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों से अपने क्षेत्र की राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेने की स्थिति जानने का प्रयास किया गया।

#### तालिका -9

#### राजनीतिक चर्चाओं में भागीदारी

| क्र. | दलीय सम्बद्धता की स्थिति | आवृत्ति | प्रतिशत |
|------|--------------------------|---------|---------|
| 1    | हाँ                      | 17      | 8.5     |
| 2    | नहीं                     | 183     | 91.5    |
|      | योग -                    | 200     | 100.0   |

तालिका में उत्तरदात्रियों की राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेने की स्थिति का उल्लेख किया गया है। 91.5 प्रतिशत उत्तरदात्री राजनीतिक चर्चाओं में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं करती है। 8.5 प्रतिशत उत्तरदात्री राजनीतिक चर्चाओं में भागीदारी करती है तथा सभाओं आदि में जाती है।

जो उत्तरदात्री राजनीतिक चर्चाओं में भागीदारी नहीं करती है उनकी मान्यता है कि गांव के पुरुषों के मध्य बातचीत करना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि पर्दा प्रथा के चलते हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे परिवार के पुरुष वर्ग के लोग ही ऐसी चर्चाओं में भागीदारी करते हैं। अधिकांश उत्तरदात्रियों का कहना था कि क्या बातें करें? हमें कुछ पता ही नहीं है। साक्षात्कार के दौरान ऐसा अनुभव हुआ कि पर्दा प्रथा और शैक्षणिक पिछड़ापन राजनीतिक चर्चाओं में भाग न लेने का एक अहम कारण है?

#### 7-राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ

प्रत्येक व्यक्ति की समाज में अर्जित प्रस्थितियां होती है जिनका निर्धारण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप विभिन्न मानदण्डों से होता है। आधुनिक समाज में अपनी वर्तमान वर्ग स्थिति में रहते हुए किसी अन्य वर्ग में जाने की महत्वाकांक्षा रहती है। इसे सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाना जाता है जो आधुनिकीकरण का मुख्य लक्षण है। सामाजिक गतिशीलता क्षैतिज तथा उर्ध्व दोनों ही हो सकती है।

पद की प्रकृति मुख्य रूप से व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों, व्यक्तित्व, विचारों एवं जीवन शैली को निर्धारित करती है। व्यक्ति का अधिकांश समय अपने व्यावसायिक क्रिया कलापों में ही व्यतीत होता है।

तथ्यों से स्पष्ट होता है कि निर्वाचित महिलाओं का एक बड़े भाग/ प्रतिशत की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सीमित हैं तथा वे अपने वर्तमान पद से ही सन्तुष्ट हैं इससे आगे उनकी किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है।

सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि महिला ग्रामीण नेतृत्व कमोवेष ग्राम पंचायतों में अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्द्धा से आया है। निर्वाचित महिलाओं के चुनावी मददे जैसे ग्रामीण विकास, सामाजिक सुधार की बातें उत्साहबर्धक तो मानी जा सकती है किन्तु व्यावहारिक पटल पर उनका क्रियान्वयन आवश्यक है। समाचार-पत्र, पत्रिकाओं एवं संचार माध्यमों के प्रति उनकी जागरूकता की स्थिति राजनीतिक परिदृश्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। आरक्षण सम्बन्धी अज्ञानता महिला नेतृत्व की सफलता की धुंधली तस्वीर प्रस्तुत करता है।

तथ्यों के गहनता से विप्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ग्रामीण महिला नेतृत्व अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में वह अधिक सजग एवं प्रभावी नेतृत्व देने में सक्षम होगा ऐसी समाज की अपेक्षाएं हैं।

संदर्भ

1. स्टेसी, बी. पोलिटिकल सोषिलाइजेशन इन वेस्टर्न सोसायटी (1978) न्यू देहली पृ0सं0 2
2. सिंह, रवि प्रताप, अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजन (1989) दिल्ली पृ0सं0 85
3. डासन, आर.ई., प्रिविट,के., पोलिटिकल सोषिलाइजेशन (1969), वोस्टर्न पृ0सं0 17
4. सिंह, जे.एन., लेजिसलेटिव इलिट इन यू.पी., (1983), वाराणसी, पृ0सं0 91
5. सिसोदिया, वाई.एस., पंचायत राज का क्रियान्वयन एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व (2000) जयपुर, पृ0सं0 173
6. मल, पूरण, पंचायती राज एवं दलित नेतृत्व (2007) जयपुर पृ0सं0 134
7. रिग्स, एफ.डब्ल्यू., कम्प्रेटिव पालिटिक्स एण्ड द स्टडी ऑफ द पालिटिकल पार्टीज: ए स्ट्रक्चर एप्रोच (1968) वोस्टन, पृ0सं0 374